



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 26.11.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 25.11.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रेवती प्रसाद उर्फ प्रिंस पुत्र मनोहर लाल निवासी ए-692 गली न0-13 प्रताप नगर दिल्ली थाना हर्ष बिहार उम्र करीब 19 वर्ष को भारत माता चौक के पास नाले की पुलिया थाना शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रेवती प्रसाद उर्फ प्रिंस पुत्र मनोहर लाल उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रेवती प्रसाद उर्फ प्रिंस पुत्र मनोहर लाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि जो स्पेलैण्डर मोटर साइकिल मेरे पास है, यह मोटर साइकिल मैंने दिनांक 14.11.2024 को जी0टी0बी0 अस्पताल दिल्ली से चोरी की थी । जिसकी मैंने पहचान छिपाने के लिये नम्बर प्लेट उतार कर फेंक दी थी । मैं इस मोटर साइकिल को बेचने के लिए जा रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रेवती प्रसाद उर्फ प्रिंस पुत्र मनोहर लाल निवासी ए-692 गली न0-13 प्रताप नगर दिल्ली थाना हर्ष बिहार उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त रेवती प्रसाद उर्फ प्रिंस पुत्र मनोहर लाल उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली के जीटीवी एन्क्लेव/ई-पुलिस स्टेशन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार ।

आज दिनांक 26.11.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी शान पुत्र मोहम्मद नईम निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी के निठौरा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 22.10.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नर गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

शान पुत्र मोहम्मद नईम निवासी प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, रंगदारी व अवैध शस्त्र सम्बन्धी अपराध के 02 अभियोग थाना लोनी पर पंजीकृत है तथा धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा रंगदारी मांगने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 21.11.24 को थाना सिहानीगेट पर वादी दीपांशु कुमार पुत्र नवरत्न सिंह निवासी ऑफिस 18 सेकण्ड एफ न्यू आर्य नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद, मूल पता- 791 पीर मोहल्ला ग्राम असौंडा हापुड़ देहात की लिखित तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के ऑफिस में आकर वादी व वादी के साथी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज, सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर निकालने एवं वादी व वादी के दोस्त को अर्टिगा कार में बैठाकर दिल्ली की तरफ ले जाते समय मृत्यु का भय दिखाकर 10 लाख रुपये की मांग करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस टीम, मुखिबर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर घटना उपरोक्त के कारित करने वाला एक अभियुक्त ललित कुमार पुत्र राम नरेश नि0- 126 एन – 16ए संजय बस्ती थाना तिमार पुर दिल्ली मूल नि0- ग्राम राय पुर पोस्ट पीठन पुर थाना पटियाली जिला कांसगज को उसके मस्कन नि0- 126 एन – 16ए संजय बस्ती थाना तिमार पुर दिल्ली से किया गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने नीरज तिवारी के दोस्त दीपक शुक्ला को बताया कि नीरज तिवारी ऑफिस से ऑनलाइन sexual wellness की दवायें बेचते हैं। यदि इन दोनों को बिना कागज व नकली दवा व जीएसटी भरने के नाम पर ब्लेकमेल करके उनको हम लोग क्राइम ब्रांच बताते हुए पकड़ ले तो लाखों रुपये मिल सकते हैं। यह सब कहानी मैंने दीपक शुक्ला, अभिमन्यु, रामसुमेर, रवि व धीरज को बुलाकर उनको बताया कि यदि नीरज तिवारी व दीपांशु दोनों को बिना कागज व नकली दवा व जीएसटी भरने के नाम पर ब्लेकमेल करके उनको हम लोग क्राइम ब्रांच बताते हुए पकड़ लें तो लाखों रुपये मिल सकते हैं। इस बात पर सभी ने सहमत होकर आपराधिक षडयन्त्र के तहत 10 लाख रुपये की अवैध मांग/रंगधारी मांगने हेतु मैंने दीपक शुक्ला, अभिमन्यु, रामसुमेर, रवि व धीरज के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था मांग की पूर्ति न होने पर दोनो को दिल्ली क्षेत्र में छोड़ दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

ललित कुमार पुत्र राम नरेश नि0- 126 एन – 16ए संजय बस्ती थाना तिमार पुर दिल्ली मूल नि0- ग्राम राय पुर पोस्ट पीठन पुर थाना पटियाली जिला कांसगज

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा दुकानों में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 4220/- रुपये, चोरी किये 02 आधार कार्ड एवं 02 पैनकार्ड बरामद

घटना का विवरण- दिनांक 16.11.2024 को वादी श्री मनीष जैन पुत्र स्व0 सुरेन्द्र नाथ जैन नि0 B 54 H.I.G फ्लेट संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद की एक लिखित तहरीर कि दिनांक 13/14.11.2024 की रात्रि को आवेदक की दुकान क्वालिटी जनरल स्टोर से कुछ अज्ञात चोरो ने चोरी करने तथा दुकान के गल्ले मे रखा सारा रुपया चोरी कर ले जाने तथा इसी रात्रि को आवेदक की दुकान से कुछ दूरी पर स्थित तनु श्री फोरेक्स एण्ड प्रवेट लिमिटेड आफिस में रखे रुपये तीन चांदी के सिक्के तथा आधार कार्ड व पेन कार्ड चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एवं घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 25.11.2024 की रात्रि दौराने पुलिस चेकिंग संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्ति में एएलटी चौराहा के पास से दुकानो में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गण मय चोरी माल के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों में पूछताछ पर बताया कि साहब दिनांक 13/14.11.2024 की रात्रि मे हमने मौका पाकर ईब्लाक सै023 संजयनगर मे क्वालिटी जनरल स्टोर व तनु श्री फोरेक्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड आफिस के गल्लो से चोरी की थी जो हम तीनो लोगो के हिस्से मे 7000-7000/- रुपये आये थे बाकि रुपये हम लोगो से खर्च हो गये और जो हम दोनो के पास रुपये मिले है यह वही रुपये है जो चोरी मे मिले थे और आधार कार्ड व पैन कार्ड जो हमने तनु श्री फोरेक्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड आफिस के गल्ले से मिले थे साहब पैन कार्ड व आधार कार्ड से बैंक से रुपये निकल आते है।

नाम पता अभियुक्त

1. रिजवान पुत्र सलीम निवासी ग्राम कादरवाडी थाना सौरों जनपद कासगंज हाल निवासी गली नं0 11 जैन के मकान मे यादव चक्की के पास राहुल विहार IIInd थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद

2. जसराम पुत्र अशोक निवासी ग्राम गढी जमनाथ थाना राजा का रामपुर जनपद एटा हाल निवासी गली नं0 02 बहराम पुर नियर हिटाची एटीएम के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रिजवान

अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध जनपद बदायूं में 01 मुकदमा लूट का 01 मुकदमा हत्या का प्रयास, 01 मुकदमा आयुद्ध अधि0, 01 मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट का मधुबन बापूधाम पर, 01 मुकदमा चोरी का कुल 05 मुकदमे दर्ज है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जसराम

अभियुक्त जसराम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी का 01 मुकदमा दर्ज है।

बरामदगी का विवरण

1. 4220/- रुपये
2. चोरी किये 02 आधार कार्ड एवं 02 पैन कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

